

आदेश

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 6208 दिनांक 03.09.2025 के विरुद्ध अपीलार्थी श्री कपिलदेव कुमार शास्त्री (Emp. ID No.-AEN07716), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, बांका द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम-8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष उपस्थित।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है :-

बन्दोबस्त कार्यालय, बांका द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि उक्त जिला में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मी हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल विशेष सर्वेक्षण कर्मियों में अपीलार्थी का नाम भी प्रतिवेदित किया गया था।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाना है। विभागीय पत्रांक 2786(9A) दिनांक 29.07.2025 द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आमजनो/रैयतों के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 16.08.2025 से राजस्व महाअभियान संचालित किया गया है, जिसमें विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की भी भूमिका निर्धारित थी। महाअभियान प्रारंभ होने की तिथि से ही नियमावली के विरुद्ध मांगो को लेकर योजनाबद्ध तरीके से विशेष सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण योजना एवं राजस्व महाअभियान को बाधित करने तथा विभाग की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से अपीलार्थी तथा अन्य कर्मी हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल थे।

हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल संविदा कर्मियों से निदेशालय द्वारा दिनांक 30.08.2025 के संध्या 05:00 बजे तक कर्तव्य पर वापस लौटने की अपील समाचार पत्रों एवं निदेशालय वेबसाईट के माध्यम से किया गया। कर्तव्य पर नहीं लौटने की स्थिति में एक और अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 03.09.2025 को संध्या 05:00 बजे तक कर्तव्य पर वापस लौटने की पुनः अपील किया गया। इसके बावजूद भी अपीलार्थी तथा अन्य कर्मी हड़ताल/धरना प्रदर्शन से वापस नहीं लौटे।

नियोजन से संबंधित विद्यमान नियमावली एवं नियोजन के समर्पित Terms of Assignment जिसकी कंडिका-1(ii) में स्पष्ट रूप से "This is a time bound engagement on contract and the personnel cannot and will not claim for any extension or even permanent employment" एवं कंडिका-5(ii) में भी "At no stage you should claim permanent employment with the government" अंकित है। अपीलार्थी द्वारा एतद् संबंधी समर्पित शपथ पत्र का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त के आलोक में अपीलार्थी का संविदा समाप्त किया गया है।

A

अपीलार्थी का कथन है कि इनके द्वारा इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया गया है। मात्र संघ के बहकावे में आकर हड़ताल में शामिल हो गये थे, जिसके लिए क्षमा याचना की गयी। साथ ही इनका यह भी कथन है कि भविष्य में हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के संबंध ये अपना Self Affidavit दे रहे हैं।

निदेशालय द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया गया है कि संविदा समाप्ति के पश्चात् भी अपीलार्थी द्वारा हड़ताल के दौरान विभिन्न मिडिया चैनलो, सोशल मिडिया एवं अन्य ऑनलाईन माध्यम से सरकार एवं विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी की गयी है एवं अन्य संविदा कर्मियों को हड़ताल में जाने के लिए उकसाने, धमकाने का कार्य किया गया है। साथ ही हड़ताल से वापस आए कर्मियों को भी डरा कर धमका कर पुनः हड़ताल में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया है।

निदेशालय द्वारा गठित मंतव्य के संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि इनके द्वारा इस तरह कोई भी कृत्य नहीं किया गया है। मात्र हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल होने की भूल इनके द्वारा की गयी है।

अभिलेख के अवलोकन, लगाए गए आरोप, अपीलार्थी के कथन एवं निदेशालय के मंतव्य की विवेचना की गयी। विवेचनोपरांत पाता हूँ कि अपीलार्थी द्वारा अपनी भूल को स्वीकार किया गया है तथा क्षमा याचना की गयी है एवं भविष्य में हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का Self Affidavit दिया गया है। इस आलोक में इन्हें एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचना के आलोक में निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण द्वारा निर्गत आदेश संख्या-6208 दिनांक-03.09.2025 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अनुपस्थित अवधि को No Work No Pay मानते हुए बंदोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से इनको संविदा में पुर्ननियोजित किया जाता है।

(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव-सह-

अपीलीय प्राधिकार

पटना, दिनांक 08/12/25

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-36/2025.....7330

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव-सह-

अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-36/2025.....7330

प्रतिलिपि :- श्री कपिलदेव कुमार शास्त्री (Emp. ID No.- AEN07716), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव  
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-36/2025.....7330

पटना, दिनांक :- 08/12/2025

प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-36/2025.....7330

पटना, दिनांक :- 08/12/2025

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

भू-अभिलेख एवं परिमाण